

प्रेषक,

अरुण कुमार सिंह  
अपर मुख्य सचिव।

सेवा में,

प्रशासक, सुवर्ण रेखा बहुदेशीय परियोजना/  
मुख्य अभियंता, चापिडल कम्पलेक्स/ईचा-गालूडीह कम्पलेक्स, सुवर्ण रेखा परियोजना;  
संबंधित अधीक्षण अभियंता/संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी;  
जल संसाधन विभाग, झारखण्ड।

राँची, दिनांक : 13/11/19

विषय :- वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान जल संसाधन विभाग अन्तर्गत सुवर्णरेखा बहुदेशीय परियोजना के विभिन्न कार्य प्रमंडलों को सुवर्णरेखा बहुदेशीय परियोजना के कार्यान्वयन हेतु रु. 22492.38 लाख (रु. दो सौ चौबीस करोड़ बानबे लाख अड़तीस हजार मात्र) रुपये की राशि आवंटित करने के संबंध में।

प्रसंग :- प्रशासनिक स्वीकृत्यादेश सं.-19/10-11 प्र० स्वी० दिनांक 14.10.2010 Online AA-1466/01.11.19

महाशय,

वित्तीय वर्ष 2019-20 में व्यय हेतु बजट मुख्य शीर्ष 4700-मुख्य सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय के अंतर्गत निम्नवत् दर्शाये गये लघु शीर्ष/उप शीर्ष के अधीन अंकित कार्यालयों को आवंटन संसूचित किया जाता है  
(लाख रु. में)

क्र.	मॉग सं./मुख्य शीर्ष	उप मुख्य शीर्ष/लघु शीर्ष	उप शीर्ष / विस्तृत शीर्ष/ विपत्र कोड	वित्तीय वर्ष 2019-20 के बजट उपबंध	आवंटित राशि	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	5	
1.	49-जल संसाधन विभाग, 4700 - मुख्य सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय	80-सामान्य,/ 796-जन जातीय क्षेत्र उपयोजना,	12-ए.आई.बी.पी. एवं अन्य जल संसाधन कार्यक्रम अन्तर्गत योजनाओं का कार्यान्वयन, विस्तृत शीर्ष-05-निर्माण, 45- निर्माण कार्य; विपत्र कोड - 49C470080796120545	30000.00	20366.38	
2.	49-जल संसाधन विभाग, 4700 - मुख्य सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय	80-सामान्य,/ 789- अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना	12-ए.आई.बी.पी. एवं अन्य जल संसाधन कार्यक्रम अन्तर्गत योजनाओं का कार्यान्वयन, विस्तृत शीर्ष-05-निर्माण, 45- निर्माण कार्य; विपत्र कोड - 49C470080789120545	14000.00	2126.00	
कुल				44000.00	22492.38	


प्रत्यार्पित राशि – ₹ दो सौ चौबीस करोड़ बानबे लाख अड़तीस हजार मात्र।

- उपर्युक्त आवंटित की जा रही राशि का व्यय परिशिष्ट-1 एवं 2 में अंकित कार्य प्रमंडलों के द्वारा नियमानुसार किया जाएगा।
- आवंटित राशि के निकासी की प्रक्रिया एवं शर्तें वित्त विभागीय स्थायी अनुदेश का पत्रांक 2561 वि. (2) दिनांक 17.04.98, 1800 (वि.) दि. 15.07.2003, 1363 दि. 09.05.2016 तथा 2747(वि.), दिनांक-19.09.16 के आलोक में होगा।
- आवंटित राशि का व्यय विभागीय पत्रांक 1/PMC/कार्य/404/06 (पार्ट II) 19/10-11 प्र० स्वी० दिनांक 14.10.10 द्वारा प्रदत्त प्रशासनिक स्वीकृति, स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रम एवं सक्षम प्रधिकार द्वारा प्रदत्त तकनीकी स्वीकृति के अनुरूप किया जायेगा।
- संबंधित अधीक्षण अभियंता एवं मुख्य अभियंता अपने परिक्षेत्राधीन कार्यों की भौतिक एवं वित्तीय समीक्षा स्वयं करेंगे एवं यह सुनिश्चित करेंगे कि व्यय निर्धारित नियमों के अनुरूप हो।
- राशि की निकासी के पूर्व संबंधित विपत्र/चेक पर निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा इस प्रसंगाधीन आवंटन आदेश की संख्या एवं तिथि का उल्लेख करना होगा, जिसके आधार पर संबंधित विपत्र/चेक में निहित राशि की जा रही है। साथ ही इस आशय का प्रमाण पत्र भी विपत्र/चेक पर अंकित करना होगा कि विपत्र में निहित राशि बजट उपबंध तथा आवंटित राशि के अधीन है और राशि की निकासी के लिए संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी स्वयं सक्षम पदाधिकारी है। प्रत्येक विपत्र/चेक के साथ संबंधित आवंटन आदेश की अभिप्राणित प्रति निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा अनिवार्य रूप से संलग्न की जायेगी।

(राजेन्द्र प्रसाद)  
उप सचिव (अभि.)  
(अशोक कुमार दास)  
संयुक्त सचिव (अभि.)

7. सरकारी नियम/अधिनियम यथा वन संरक्षण अधिनियम 1980 आदि का उल्लंघन नहीं हो यह सुनिश्चित किया जाय।
  8. राशि की निकासी कर उसे चालू/बचत खाता में नहीं रखा जाय।
  9. आवंटित राशि से दायित्व का भुगतान या अन्य मद में व्यय बिना अनुमति के नहीं किया जाय।
  10. जिस शीर्ष के अंतर्गत उपर्युक्त राशि आवंटित की जा रही है, निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी उसी शीर्ष के अंतर्गत भारित करेंगे। प्रत्येक निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी पूर्णतः सुनिश्चित हो लेंगे कि इकाईवार व्यय की सीमा किसी भी परिस्थिति में संबंधित इकाई के अंतर्गत आवंटित राशि से अधिक नहीं हो, अन्यथा अधिकाई व्यय की पूरी जवाबदेही संबंधित पदाधिकारी पर होगी।
  11. विहार वित्तीय नियमावली (भाग-1) के नियम 473 एवं 475 में विहित निदेश/वित्तीय नियमावली बजट मैनुअल/सचिवालय अनुदेश तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में विहित प्रावधानों तथा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत अनुदेशों का दृढ़तापूर्वक अनुपालन किया जाना संबंधित मुख्य अभियंता/अधीक्षण अभियंता/कार्यपालक अभियंता का दायित्व होगा।
  12. AIBP योजनाओं के लिए MOU में भारत सरकार द्वारा अंकित शर्तों से संबंधित सभी अनुदेशों का सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। साथ ही तत्संबंधी प्रतिवेदन विभाग को ससमय उपलब्ध कराया जाय।
  13. प्रत्येक निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित शीर्षन्तर्गत हुए व्यय का सत्यापन नियमानुसार त्रैमासिक रूप से महालेखाकार रॉची के साथ निश्चित रूप से कराते रहेंगे तथा व्यय प्रतिवेदन एवं सत्यापन विवरणी विभाग को समर्पित करेंगे।
  14. विभिन्न इकाई मदों में आवंटित राशि से यदि राशि बच जाती है तो उसका इकाईवार प्रत्यर्पण 31 मार्च, 2020 के पूर्व तक निश्चित रूप से कर देंगे। साथ ही यदि किसी इकाई में आवंटित राशि का तत्काल व्यय संभव न हो तो अतिरेक राशि का यथाशीघ्र प्रत्यार्पण कर दिया जाय। राशि का प्रत्यार्पण, Online उप शीर्षवार किया जाय एवं पूर्ण प्रत्यार्पण प्रतिवेदन Hard Copy में Access No तथा Revoke No/Surrender No (संबंधित LOC संख्या सहित) का भी आवश्यक रूप से उल्लेख करते हुए उपलब्ध कराया जाय।
- नोट :** आवंटित राशि को Online Allotment System द्वारा निर्गत किया जा चुका है जिसका Access no परिशिष्ट-1 के स्तंभ-11 में अंकित है। यह आवंटनादेश जल संसाधन विभाग के वेब साईट (<http://www.wrdjharkhand.nic.in>) पर भी उपलब्ध है।

अनु० :- यथोक्त

  
 (अरुण कुमार सिंह) 12.11.19  
 अपर मुख्य सचिव

ज्ञापांक :- 145

रॉची, दिनांक :- 13/11/19

प्रतिलिपि :- महालेखाकार (लेखा एवं हक.) झारखण्ड पो. - हिनू रॉची/कोषागार पदाधिकारी, रॉची/डोरण्डा/जमशेदपुर/सरायकेला-खरसौंवा/चाईबासा/चापिडल/घाटशिला सहित राज्य के सभी कोषागार एवं उपकोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनु० :- यथोक्त

  
 (अरुण कुमार सिंह) 12.11.19  
 अपर मुख्य सचिव

ज्ञापांक :- 145

रॉची, दिनांक :- 13/11/19


प्रतिलिपि :- प्रधान सचिव, वित्त विभाग/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित उपायुक्त, सचिव योजना एवं विकास विभाग/आंतरिक वित्तीय सलाहकार जल संसाधन विभाग/मुख्य अभियंता (मो.) रॉची/अभियंता प्रमुख-I एवं II जल संसाधन विभाग /संयुक्त सचिव (अभि.)/उप सचिव (अभि.) जल संसाधन विभाग को पाँच प्रति/प्रशाखा-7 को दस अंतिरिक्त प्रतियों में/सांख्यिकी पदाधिकारी जल संसाधन विभाग/सचिव के प्रधान आप्त सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, रॉची/वेब सूचना प्रबंधक, जल संसाधन विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक-यथोक्त।



(राजेन्द्र प्रसाद)  
 उप सचिव (अभि.)

  
 (अशोक कुमार दास)  
 संयुक्त सचिव (अभि.)

  
 (अरुण कुमार सिंह) 12.11.19  
 अपर मुख्य सचिव

पत्रांक :— 145 दिनांक 13/11/19 का अनुलग्नक

परिशिष्ट-1

माँग संरया-49—जल संसाधन विभाग

मुख्य शीर्ष — 4700 मुख्य सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय

उप मुख्य शीर्ष — 80 सामान्य

लघु शीर्ष — 796—जन जातीय क्षेत्र उपयोजना

उप शीर्ष — 12—ए.आई.बी.पी. एवं अन्य जल संसाधन कार्यक्रम अन्तर्गत योजनाओं का कार्यान्वयन

विस्तृत शीर्ष—05—निर्माण, 45—निर्माण कार्य; विपत्र कोड — 49C470080796120545

वित्तीय वर्ष 2019-20 में बजट उपबंध रु. 30000.00 लाख मात्र।

(राशि रु. लाख में)

क्र०	प्रमंडल का नाम	मुख्य अभियंता प्रक्षेत्र	योजना का नाम	प्रशासनिक स्वीकृति का		मार्च 2019 तक का व्यय	वित्तीय वर्ष 2019-20 में आवंटन			On-line Allotment Access No.	अभियुक्त
				प्रसंग	राशि		पूर्व का आवंटन	वर्तमान आवंटन	कुल आवंटन		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	खरकई बांध प्रमंडल सं.-2, ईचा—चालियामा (SKLIRR025)						0.00	7277.88	7277.88	72025	
2	लघु वितरणी प्र० सं०-2, चांडिल शिविर डिमाना, जमशेदपुर (JSRIRR009)						0.00	51.19	51.19	72026	
3	खरकई बांध प्रमंडल सं०-1 मुसाबनी (JSRIRR026)						0.00	2.80	2.80	72029	
4	खरकई नहर प्रमंडल, चाईबासा (SGHIRR002)						0.00	433.51	433.51	72030	
5	सुवर्ण रेखा नहर प्रमंडल गांगुडीह (JSRIRR008)						0.00	235.00	235.00	72033	
6	खरकई नहर प्रमंडल, राजनगर (SKLIRR016)						0.00	100.00	100.00	72035	
7	गालूडीह दायां नहर प्रमंडल सं०-1, मुसाबनी, शिविर गालूडीह (JSRIRR039)						0.00	165.00	165.00	72036	
8	लघु वितरणी प्रमंडल सं०-4 गालूडीह (JSRIRR072)						0.00	419.76	419.76	72038	
9	खरकई लिंक नहर प्रमंडल मुसाबनी (JSRIRR029)						0.00	200.00	200.00	72039	
10	यांत्रिक प्रमंडल, ईचा चालियामा (SKLIRR021)						0.00	5.00	5.00	72041	
11	खरकई नहर प्रमंडल, आदित्यपुर (SKLIRR032)						0.00	2672.17	2672.17	72049	
12	सुवर्ण रेखा नहर प्रमंडल चांडिल (SKLIRR023)						0.00	1500.00	1500.00	72055	
13	लघु वितरणी प्रमंडल सं०-9 घाटशिला (JSRIRR050)						0.00	138.70	138.70	72058	

चालिल कॉम्प्लेक्स / ईचा—गालूडीह कॉम्प्लेक्स

सुवर्णिखा बहुदेशीय परियोजना

19/10-11 प्र०स्थी, दिनांक—14.10.2010 Online AA-1466/01.11.19

661374.00  
612649.74

३८५

(राजेन्द्र प्रसाद)  
उप सचिव (अभि.)

*Asstt*  
(अशोक कुमार दास)  
संयुक्त सचिव (अभि.)

*Arun Singh*  
(अरुण कुमार सिंह)  
अपर मुख्य सचिव

12.11.19

विस्तृत शीर्ष-05-निर्माण, 45-निर्माण कार्य; विपत्र कोड - 49C470080796120545


वित्तीय वर्ष 2019-20 में बजट उपबंध रु. 30000.00 लाख मात्र।

(राशि रु. लाख में)

क्र०	प्रमंडल का नाम	मुख्य अभियंता प्रक्रेत्र	योजना का नाम	प्रशासनिक स्थीरता का		मार्च 2019 तक का व्यय	वित्तीय वर्ष 2019-20 में आवंटन			On-line Allotment Access No.	अभियुक्त					
				प्रसंग	राशि		पूर्व का आवंटन	वर्तमान आवंटन	कुल आवंटन							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
14	लघु वितरणी प्रमंडल सं0-5 डिमना, जमशेदपुर (JSRIRR002)	चाड़िल कॉम्प्लेक्स/ईचा-गालूडीह कॉम्प्लेक्स	सुवर्ण रेखा नहर प्रमंडल घाटशिला (JSRIRR022)	19/10-11 प्र०वी, दिनांक-14.10.2010 Online AA-1466/01.11.19	661374.00	612649.74	0.00	927.54	927.54	72063						
15	लघु वितरणी प्रमंडल सं0-8 जमशेदपुर (JSRIRR010)						0.00	170.49	170.49	72067						
16	लघु वितरणी प्रमंडल सं0-3 मानगो, जमशेदपुर (JSRIRR011)						0.00	950.00	950.00	72080						
17	लघु वितरणी प्रमंडल सं0-12 मानगो, जमशेदपुर (JSRIRR006)						0.00	654.00	654.00	72081						
18	लघु वितरणी प्रमंडल सं0-10 घाटशिला (JSRIRR022)						0.00	204.35	204.35	72084						
19	सुवर्ण रेखा नहर प्रमंडल घाटशिला (JSRIRR018)						0.00	612.00	612.00	72085						
20	सुवर्ण रेखा नहर प्रमंडल जमशेदपुर (JSRIRR100)						0.00	1046.99	1046.99	72087						
21	बराज प्रमंडल, गालूडीह (JSRIRR074)						0.00	2000.00	2000.00	72089						
22	लघु वितरणी प्रमंडल सं0-7 गालूडीह (JSRIRR087)						0.00	600.00	600.00	72090						
योग							0.00	20366.38	20366.38							
आवंटित राशि - ₹ दो सौ तीन करोड़ छियासठ लाख अड़तीस हजार मात्र।																

(राजेन्द्र प्रसाद)  
उप सचिव (अभि.)

(अशोक कुमार दास)  
संयुक्त सचिव (अभि.)

  
(अरुण कुमार सिंह) 12.11.19  
अपर मुख्य सचिव

145  
12/11/19

